प्र.सं. 28/2024 श्रीमती भंवरी देवी व अन्य बनाम राधाकिशन व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.01.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम अम्बेरी, तहसील बड़गांव में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (क) वर्णित आराजी नंबर 458 से 460, 462 से 467, 495 कुल किता 10 रकबा 3.8000 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा अनुसार अंकित है। इसी प्रकार कलम संख्या 2 (ख) वर्णित आराजी नंबर 444 से 447, 453, 456, 457, 468, 496 कुल किता 9 रकबा 2.0600 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा अंकित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (क) वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा स्वर्गीय गेन्दीबाई पत्नी स्वर्गीय ऊंकारलाल जी पालीवाल दर्ज था। श्रीमती गेंदीबाई ने दिनांक 24.06.2019 को उक्त 1/2 हिस्से की वसीयत निष्पादित कर दिनांक 30.07.2019 को पंजीबद्ध करवा दिया। श्रीमती गेन्दीबाई का निधन दिनांक 16.02.2021 को हो गया, जिससे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (क) वर्णित आराजियात के 1/2 हिस्से का प्रार्थी एक मात्र खातेदार होकर काबिज है। प्रार्थी का इसी भूमि पर मकान बना हुआ होकर निवास कर रहा है तथा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (क) वर्णित आराजियात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है, शेष 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 6 का है, किन्तु उक्त समस्त आराजियात पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त रहा है तथा विपक्षी संख्या 1 से 6 का विवाह होकर सभी अपनी ससुराल में रहती हैं एवं उनके द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गयी, किन्तु प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (क) वर्णित आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 6 का नाम रूटीन में विरासत से दर्ज कर दी गयी है, जबकि उक्त भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत खातेदार मृतक श्रीमती गेन्दीबाई द्वारा प्रार्थी के पक्ष में कर दिये जाने से प्रार्थी एक [illegible]तेदार होकर काबिज है	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:15 IST
Reason: SelfAttested

तथा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (ख) वर्णित आराजियात का प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 6 के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार नाप व सीमांकन से विभाजन किया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 1 से 6 मनमाने ढंग से अविभाजित भूमि को अजनबी व्यक्यिों को विक्रय करने पर उतारू हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षी संख्या 1 से 6 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें एवं न ही किसी प्रकार से हस्तान्तरित करें।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02.08.2024 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ताफैसला मूलवाद विवादित आराजियात के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1 से 6 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28.08.2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयनारायण उपस्थित हुए एवं उन्होंने लिखित बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया, किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गयी। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजियात बाबत् रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत मूल दावे की अपील न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 19.11.2024 को खारिज की जा चुकी है। अपीलान्टगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 (ख) वर्णित आराजी नंबर 444 से 447, 453, 456, 457, 468, 496 कुल किता 9 रकबा 2.0600 हैक्टर भूमि के 1/2 हिस्से के रेकार्डेड खातेदार है, कानूनन रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:15 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2018 (1) Page 405, RRT 2009 (1) Page 25, RRT 2002 (2) Page 897, RRT 2001 (2) Page 1261, RRT 2006 (2) Page 1411, RRT 2017 (1) Page 258, RRD 1997 Page 30, RRT 2013 (2) Page 828, RRT 2015 (1) Page 560 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्टगण विवादित आराजी नंबर 444 से 447, 453, 456, 457, 468, 496 कुल किता 9 रकबा 2.0600 हैक्टर भूमि के 1/2 हिस्से के रेकार्डेड सहखातेदार है तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों अनुसार रेकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर बिना कोई विवेचन किये रेकार्डेड सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जो उक्त न्यायिक नजीरों की रोशनी में त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.08.2024 अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:20:15 IST
Reason: SelfAttested